

प्रेषक,
मृत्युंजय कुमार नारायण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ०प्र०, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 05 मई, 2017

विषय: नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुनर्गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे के पुनर्गठन के विषय में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ की अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुनर्गठन दिनांक 11-05-2006 से शासनादेश संख्या-746/छप्पन-11-108/97, दिनांक 16 नवम्बर, 2011 के अन्तर्गत निम्नवत किया गया था :-

नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	उनके नियंत्रणाधीन कार्यालय	वाहन चालकों के स्वीकृत पदों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या			
			वाहन चालक ग्रेड-4 3050-4590	वाहन चालक ग्रेड-3 4000-6000	वाहन चालक ग्रेड-2 4500-7000	वाहन चालक ग्रेड-1 5000-8000
निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ०प्र० लखनऊ	अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई	08	03	02	02	01
	योग	08	03	02	02	01

2- वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-652/दस-2012-54(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 के क्रम में, उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 2011 के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० में अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई के अन्तर्गत इस शासनादेश के अनुलग्नक-1 के अनुसार उपलब्ध वाहन चालक संवर्ग के पदों को अनुलग्नक-2 के अनुसार पुनर्गठित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त पुनर्गठन दिनांक 14 जून, 2012 से प्रभावी होगा। उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित/उच्चिकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान में निम्न स्तर के पदों पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आधार पर एकमुश्त समायोजन कर दिया जाये। उक्तानुसार समायोजित होने वाले पदधारकों को संशोधित/उच्चकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2010 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। एकमुश्त समायोजन की सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जायेगी। उक्त सुविधा के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों को सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार ही भरा जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या: वे0आ0-1-164/दस-2017, दिनांक 21 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
सचिव।

पु0सं0 :40/2017/256(1)/छप्पन-2017- तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन टी0सी0-ई0वी-1, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-10
- 3- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0, लखनऊ
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 40/2017/256/छप्पन-2017-108/97, दिनांक 05 मई, 2017
का अनुलग्नक - 01

वर्तमान व्यवस्था

नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	नियंत्रणाधीन कार्यालय	वाहन चालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या	श्रेणीवार पदों की संख्या			
			वाहन चालक ग्रेड-4 3050-4590	वाहन चालक ग्रेड-3 4000-6000	वाहन चालक ग्रेड-2 4500-7000	वाहन चालक ग्रेड-1 5000-8000
निदेशक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0 लखनऊ	अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई	08	03	02	02	01
	योग	08	03	02	02	01

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 40/2017/256/छप्पन-2017-108/97, दिनांक 05 मई, 2017

का अनुलग्नक - 02

पुनर्गठनोपरान्त व्यवस्था

नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	नियंत्रणाधीन कार्यालय	वाहन चालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या	श्रेणीवार पदों की संख्या				
			वाहन चालक ग्रेड-4 5200-20200 ग्रेड पे-1900/-	वाहन चालक ग्रेड-3 5200-20200 ग्रेड पे-2400/-	वाहन चालक ग्रेड-2 5200-20200 ग्रेड पे-2800/-	वाहन चालक ग्रेड-1 9300-34800 ग्रेड पे-4200/-	वाहन चालक ग्रेड-1 9300-34800 ग्रेड पे-4600/-
निदेशक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0 लखनऊ	अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई	08	02	02	02	01	01
	योग	08	02	02	02	01	01

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।